ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 24/20–21

रीता देवी बनाम् सबीर अंसारी वगै0

18.10.2022

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदिका रीता देवी, पति–नंदलाल साह, पे0–दीपचंद साह, सा0–सिंघाड़ी, थाना व अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–सिंघाड़ी नं0–04, जमाबंदी नं0–73, दाग नं0–365, रकवा–00–05–05 धूर भूमि से विपक्षीगण सबीर अंसारी, आसीन अंसारी, दोनों पे0–मुस्लिम अंसारी, मु0 अजहरूद्धीन अंसारी, पे0–लम मियां, सा0–सिंघाड़ी, थाना व अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा अपने पत्रांक–219/रा0, दिनांक–09.03.2022 से जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि प्रासंगिक भूमि रकवा– 00–05–05 धूर आवेदिका को उनकी नानी मो0 सुदामा के द्वारा दिनांक–09.04.1990 को दान पत्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसपर विपक्षीगण का चाहरदिवारी एवं मकान है, जो अवैध दखल है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख में संलग्न कागजात तथा अंचल अधिकारी, मेहरमा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत प्रतीत होता है कि प्रासंगिक भूमि पर विपक्षीगण का अवैध दखल है। अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों के तहत् प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

18.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

18.10.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.15 16:11:11 +05:30
Location: 192.168.8.115